विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4954
उत्तर की तिथि	:	08.03.2022
विषय	:	रिब्बा कंडा सड़क
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :–. (क) रिब्बा कंडा सड़क की लम्बाई कितनी है तथा इसके निर्माण का कितना कार्य शेष है; इसका कार्य कब से व किन कारणों से बन्द पड़ा है; (ख) यह सत्य है कि इस सम्पर्क सड़क के कार्य में फर्जी बिल का मामला पकड़ा गया था; यदि हां, तो ठेकेदार व दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल व विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई; और (ग) यह भी सत्य है कि ठंगी सम्पर्क सड़क में भी फर्जीवाड़े का मामला पकड़ा गया था; यदि हां, तो इसमें भी ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई; ब्यौरा दें?	(क), (ख), व (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 4954 जोकि श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) द्वारा रिब्बा कंडा सड़क बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :–

(क) रिब्बा–कंडा सडक की कुल लम्बाई 11.725 कि0मी0 है। इस सड़क की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति सरकार द्वारा नाबार्ड (RIDF-XXIII) के अन्तर्गत मु0 757.70 लाख रूपये की प्रदान की गई थी। सड़क कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा C/D, Drain, Parapets, Retaining Wall & Breast Wall का कार्य अभी शेष है। सड़क कटिंग कार्य पर अभी तक मु0 170.64 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य को ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है जोकि जून, 2021 से बन्द पड़ा है। कार्य को फिर से शुरू करने के सन्दर्भ में विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2021, दिनांक 09.07.2021 व दिनांक 22.07.2021 के तहत ठेकेदार को निर्देश दिये थे, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया जिसके लिए ठेकेदार को मु0 14,48,533/– रूपये का जुर्माना लगाया गया है तथा कार्य अनुबन्ध को दिनांक 30.07.2021 को रद्द कर दिया गया है।

शेष कार्य का प्राक्कलन मु0 4,56,75,176/– रूपये की स्वीकृति दिनांक 08.02.2022 तथा Draft Notice Inviting Tender(DNIT) की स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 को मुख्य अभियंता (शिमला क्षेत्र) द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करके शीघ्र ही कार्य के आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

(ख) जी हां, इस सम्पर्क सड़क के कार्य के बिल में गलत प्रवृष्टियों का मामला ध्यान में आया है, जिसके लिए विभागीय जांच के आदेश दिनांक 19.08.2019 को दिए गए थे। जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच के उपरान्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को आरोप पत्र जारी करने के बाद कर्मचारी के जवाब पर विचार करने के उपरान्त मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दिनांक 17.01.2022 को अधीक्षण अभियन्ता(HPRIDC), शिमला–2 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार स्तर पर मामले में सहायक अभियन्ता की ड्राफ्ट चार्जशीट नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन है।

(ग) जी हां, ठंगी सम्पर्क सड़क के कार्य में भी बिल में गलत प्रवृष्टियों का मामला ध्यान में आया है जिसके लिए विभागीय जांच के आदेश दिनांक 19.08.2019 को दिए गए थे। जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच के उपरान्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को आरोप पत्र जारी करने के बाद कर्मचारी के जवाब पर विचार करने के उपरान्त मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दिनांक 17.01.2022 को अधीक्षण अभियन्ता(HPRIDC), शिमला–2 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार स्तर पर मामले में सहायक अभियन्ता की ड्राफ्ट चार्जशीट नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन है।

ठंगी सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 3.750 कि0 मी0 है जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति सरकार द्वारा नाबार्ड(NABARD) RIDF-XXIII के अन्तर्गत दिनांक 30.08.2017 को मु0 361.66 लाख रूपये की प्रदान की गई है। इस सड़क में Removal of Formation Deficiency(RoFD) का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा सोलिंग का कार्य 1/800 कि0 मी0 तक पूर्ण कर दिया है जिस पर अभी तक मु0 93.86 लाख रूपये खर्च किए जा चुके हैं। शेष कार्य को ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। कार्य को फिर से शुरू करने के सन्दर्भ में विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2021, दिनांक 09.07.2021 व दिनांक 22.07.2021 के तहत ठेकेदार को निर्देश दिये थे, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके लिए ठेकेदार को मु0 7,42,853/– रूपये का जुर्माना लगाया गया है तथा कार्य अनुबन्ध को दिनांक 31.07.2021 को रद्द कर दिया गया है।

शेष कार्य का प्राक्कलन मु0 2,25,44,955/– रूपये की स्वीकृति दिनांक 08.02.2022 तथा DNIT की स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 को मुख्य अभियंता (शिमला क्षेत्र) द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करके शीघ्र ही कार्य के आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।